न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः— 757 / 2019

जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0) वादी

बनाम

1. दारा सिंह पुत्र महेन्द्र सिंहजाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

1. श्री कुन्दन लाल चुघ अधिवक्ता	वादी
2. श्री मोहित चुघ अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1
3. राजपैरोकार	प्रतिवादी संख्या 2

दिनांक 10.02.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक न0 40 एम एम के तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2069—2072 खाता संख्या 35 / 36 की प0न0 45 / 189 मु0न0 51 किला न0 22 / 2 की 0.152 हैक्टर प0न0 45 / 190 मु0न0 52 किला न0 1, 2, 9 ता 11 की 1.265 हैक्टर कुल 1.417 हैक्टर कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी के नाम से अन्य चको में भी कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में घरेलू तौर पर कृषि भूमि तकसीम की हुई है। उक्त विभाजन को हुए करीबन 25—30 वर्ष हो चुके है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की चक न0 40 एम एम के की प0न0 45 / 190 मु0न0 52 किला न0 2, 9 की 0.506 हैक्टर पर वादी की कब्जा काश्त है। वादी इस भूमि का मामला नहरी व राजस्व अदा करता आ रहा है। वादी की मौका पर उक्त भूमि पर फसल काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रही। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में कभी अपना हक नही जताया। वादी चक न0 40 एम एम के की प0न0 45 / 190 मु0न0 52 किला न0 2, 9 की 0.506 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी के हकूक को तसलीम नही कर रहा है ओर वह वादी की कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करना चाहता है। इसलिए वादी यह घोषणा पाने का अधिकारी है कि वह चक न0 40 एम एम के की प0न0 45 / 190 मु0न0 52 किला न0 2, 9 की 0.506 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मोहित चुघ ने वकालतनामा पेश किया व इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए वाद वादी डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही होगा। वादपत्र में किसी प्रकार का विरोध नही होने पर बहस उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र को इकबाल दावा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एंव बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है। वादी हिन्दू संयुक्त परिवार के सहदायिक सदस्य है। हिन्दू सहदायिक परिवार की सम्पति में प्रत्येक सदस्य का हक व हित होता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में घरेलू तौर पर अपनी कृषि भूमि का विभाजन कर रखा है। उक्त तथ्यो को प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल दावा पेश कर वादपत्र की ताईद

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

की है। वादी के कथनो पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति प्रकट की है तथा वादी की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, इकबाल दावा एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी मुताबिक इकबाल दावा से स्वीकार कर लिये जाने पर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी चक न0 40 एम एम के की प0न0 45/190 मु0न0 52 किला न0 2, 9 की 0.506 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 दारा सिंह का नाम इस हद तक कलमजद किया जावे।

उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेश मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन होने के स्थिती मे बैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-2-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10-2-2020

हवाई सिंह यादव (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:– 757/2019

जरनैल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादी

बनाम

1. दारा सिंह पुत्र महेन्द्र सिंहजाति जटसिख निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुन्दन लाल चुघ वकील वादी मिन जामिन गुदई श्री गोहित चुघ वकील प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 2 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी चक न0 40 एम एम के की प0न0 45/190 मु0न0 52 किला न0 2, 9 की 0.506 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 दारा सिंह का नाम इस हद तक कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन की स्थिती मे बैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 10.2.2020 को जारी की गई।

10.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी

सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: